<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–187/2012</u>

सफाकुद्दीन..वादी

बनाम

शेख सुनार एवं अन्य..प्रतिवादीगण

<u>10.08.2022</u> उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.09.2019 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–09 शेख आलमगीर की मृत्यु को हो गई है वादी को उनकी मृत्यु की जानकारी बाद में हुई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी संख्या–09 शेख आलमगीर के विधिक वारिसान के रूप में चार पुत्र तथा पांच पुत्री को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–09 शेख आलमगीर का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है।

प्रतिवादी सं0–01 ता 08 तथा 10 ता 12 एवं 17 की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 17.12.2019 को दाखिल किया गया तथा वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से अपोषणीय बताया गया है। प्रतिवादीगण का कहना है कि वाद दाखिल करने के लगभग दो वर्ष पूर्व ही प्रतिवादी सं0–09 मर चुके है। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरुद्ध वर्तमान वाद दाखिल किया है जो खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन कियाय। अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–09 शेख आलमगीर का मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन इनके द्वारा समय सीमा से दाखिल नही किया गया है तथा आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन मो0–300/– रूपये खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी संख्या–09 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उसके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। अभिलेख दिनांक 15.09.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)